# न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 124 सन 2019

अनवान :–

1. प्रिसं नाबालिग पुत्र जितेन्द्र जरिये शर्मिला पत्नी जितेन्द्र जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

**बनाम**

1. धर्मसिह उर्फ धरमचन्द पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. उप पंजीयक रामगढ/खूईया तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

**गैर सायल**

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता सायल
श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता गैरसायल 1

**निर्णय दिनांक :–** 12/03/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 22 डीपीएन के खाता संख्या 62/53 की कुल 9.108हैक में से 1/6 हिस्सा यानी 1.518हैक भूमि व खाता संख्या 17/17 के कुल 1.5180हैक में से 1/12 हिस्सा यानी 0.126हैक व रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 19/12 की कुल 9.3730हैक में से 1/24 हिस्सा यानी 0. 39054हैक रोही मौजा दीपलाना बारानी में खाता संख्या 9/9 की कुल 8.6650हैक में 1/48 हिस्सा यानी 0.18052 हैक व रोही मौजा 23 डीपीएन के खाता संख्या 64/65 की कुल 3. 9480हैक में से 1/6 हिस्सा यानी 0.658हैक तथा रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 74/66 की कुल 9.7410हैक भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 5 जो सायल की भूआ है जो अपने पिता , भाई व भतीजा से अपार स्नेह रखती है इसलिये उक्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने सायल व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर चुकी है प्रतिवादी संख्या 5 का कोई हक हिस्सा नही है।

गैरसायल न0 1 सयुक्त भूमि होने का नाजायज फायदा उठातें हुए बिना किसी जायज जरूरत के समस्त भूमि बेचान करने पर उतारू है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायल गैरसायल न0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र. स्वीकार किया जाकर वाद भूमि जो गैरसायल न0 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया गैरसायल जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की

सायल विवादित भूमि का किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है दावा में प्रतिवादी संख्या 4 सायल का पिता है विवादित भूमि में कितना हक हिस्सा बनता है अभी तय नही हुआ है जब तक प्रतिवादी संख्या 4 का विवादित भूमि में हक हिस्सा तय नही हो जाता तब तक सायल विवादित भूमि में गैरसायल न0 1 के जीवनकाल में किसी भी प्रकार की धोषणा करवाने का अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र मनगढत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

रोही मौजा सुरजनसर के खसरा न0 426/4 की 9.7410हैक भूमि गैरसायल न0 1 की खूद की पैदा करदा भूमि है जिसमें सायल एवं दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का गैरसायल न0 1 के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा नही है सायल का विवादित भूमि पर कब्जा नही है गैरसायल न0 1 विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है बिना

किसी आधार के रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द नही किया जा सकता है। सायल क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है नाही किसी प्रकार की हिस्सा कस्सी स्पष्ट की गई है कि वाद भूमि में कितने हिस्से का अधिकारी है केवल लालचवंश सायल की माता एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पिता की आपसी नाराजगी होने की वजह से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल न0 1 का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा 22 डीपीएन के खाता संख्या 62/53 की कुल 9.108हैक में से 1/6 हिस्सा यानी 1.518हैक भूमि व खाता संख्या 17/17 के कुल 1.5180हैक में से 1/12 हिस्सा यानी 0.126हैक व रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 19/12 की कुल 9.3730हैक में से 1/24 हिस्सा यानी 0.39054हैक रोही मौजा दीपलाना बारानी में खाता संख्या 9/9 की कुल 8.6650हैक में 1/48 हिस्सा यानी 0.18052 हैक व रोही मौजा 23 डीपीएन के खाता संख्या 64/65 की कुल 3.9480हैक में से 1/6 हिस्सा यानी 0.658हैक तथा रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 74/66 की कुल 9.7410हैक भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 5 जो सायल की भूआ है जो अपने पिता , भाई व भतीजा से अपार स्नेह रखती है इसलिये उक्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने सायल व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर चुकी है प्रतिवादी संख्या 5 का कोई हक हिस्सा नही है।

गैरसायल न0 1 सयुक्त भूमि होने का नाजायज फायदा उठातें हुए बिना किसी जायज जरूरत के समस्त भूमि बेचान करने पर उतारू है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायल गैरसायल न0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

गैरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल विवादित भूमि का किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है दावा में प्रतिवादी संख्या 4 सायल का पिता है विवादित भूमि में कितना हक हिस्सा बनता है अभी तय नही हुआ है जब तक प्रतिवादी संख्या 4 का विवादित भूमि में हक हिस्सा तय नही हो जाता तब तक सायल विवादित भूमि में गैरसायल न0 1 के जीवनकाल में किसी भी प्रकार की धोषणा करवाने का अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र मनगढत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

रोही मौजा सुरजनसर के खसरा न0 426/4 की 9.7410हैक भूमि गैरसायल न0 1 की खूद की पैदा करदा भूमि है जिसमें सायल एवं दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का गैरसायल न0 1 के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा नही है सायल का विवादित भूमि पर कब्जा नही है गैरसायल न0 1 विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है बिना किसी आधार के रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द नही किया जा सकता है। सायल क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है नाही किसी प्रकार की हिस्सा कस्सी स्पष्ट की गई है कि वाद भूमि में कितने हिस्से का अधिकारी है केवल लालचवंश सायल की माता एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पिता की आपसी नाराजगी होने की वजह से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायल का वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा बनता है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा 22 डीपीएन के खाता संख्या 62/53 की कुल 9.108हैक में से 1/6 हिस्सा यानी 1.518हैक भूमि व खाता संख्या 17/17 के कुल 1.5180हैक में से 1/12 हिस्सा यानी 0.126हैक व रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 19/12 की कुल 9.3730हैक में से 1/24 हिस्सा यानी 0.39054हैक रोही मौजा दीपलाना बारानी में खाता संख्या 9/9 की कुल 8.6650हैक में 1/48 हिस्सा यानी 0.18052 हैक व रोही मौजा 23 डीपीएन के खाता संख्या 64/65 की कुल 3.9480हैक में से 1/6 हिस्सा यानी 0.658हैक तथा रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 74/66 की कुल 9.7410हैक भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है अर्थात गैरसायल न0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण सुविधा का सन्तुलन एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायल न0 1 के पक्ष में पाया जाता है।

सायल ने पैतृक सम्पति होने का कथन कर अपने हकों की धोषणा एवं गैरसायल न0 1 को वाद भूमि रहन बेय करने हेतु पाबन्द करवाना चाहता है प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा सुरजनसर की भूमि पैतृक होना नही पाया जाता है साथ ही वाद भूमि वर्तमान में गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज है जो सायल के पिता जितेन्द्र का पिता है अर्थात सायल का दादा है।

सायल वाद भूमि में अपने दादा गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज भूमि में अपने पिता जितेन्द्र के हकों की धोषणा होने के बाद अपने पिता से अपने हकों की मांग कर सकता है वर्तमान में सायल के पिता के हकों की भूमि धोषणा नही हुआ है तो सायल किस प्रकार अपने हकों का निर्धारण कर रहा है सायल वाद भूमि में कितनी भूमि पाने का अधिकारी है यह भी स्पष्ट नही किया गया है और गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज समस्त भूमि पर स्थगन चाहता है जो न्यायोचित नही है।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वाद में प्रतिवादी संख्या 5 जो सायल की भुआ है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है अपने कथनों के सम्बध में ऐसा कोई साक्ष्य सबुत पेश नही किया जिससे वाद में प्रतिवादी संख्या 5 का अपने हकों को त्याग किया हुआ माना जा सके मात्र कथनों के आधार पर हकत्याग किया जाना नही माना जा सकता है।

हस्तगत प्रकरण में सायल के पिता जितेन्द्र कुमार के हकों का निर्धारण होने के उपरान्त ही सायल के हकों का निर्धारण हो सकता है साथ सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में भी स्पष्ट नही किया की वह वाद भूमि में कितने हिस्से का हकदार है और समस्त भूमि जो गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है पर गैरसायल को पाबन्द करवाना चाहता है गैरसायल न0 1 वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे बिना किसी आधार के पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है सायल अपने हक हिस्सा जो सम्भावित है पर ही स्थगन /पाबन्द करवाने की मांग की जानी चाहिये थी बिना अधिकार समस्त भूमि जो गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज है पर पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है पाबन्द किये जाने से अपूर्णीय क्षति गैरसायल न0 1 को होगी ना की सायल जो किसी श्रेणी का वर्तमान में टिनेन्ट नही है अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु गैरसायल न0 1 के पक्ष में पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपूर्णीय क्षति के बिन्दु गैरसायल के पक्ष में होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 13.03.2019 को कार्यालय द्वारा जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/03/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर( हनुमानगढ)